


# न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

क्र	फर्द अहकाम	
गुंन 63/17	तारीख 5-9-17	
<p>उजवान - अभयसिंह बनाम स्वरूपी वगैरे शर्जर करारा अजीज</p> <p>प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा</p> <p>प्रार्थी की ओर से श्री राज कुमार सिंह व संदीप तिवारी ए. वोकैट ने प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश किया। शाप पत्र व जमा बन्दी का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी गणों को जरिये नोटिस से तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 18-9-17 को पेश हो।</p> <p> सुगदीश आर्थ उपजिला कलेक्टर टोडाभीम</p>		
18-9-17	प्रार्थी वकील उप०/ अर्था नं. 4 की तरफ से श्री सुरेश चन्द्र शर्मा A.W. ने क्षीमे पेश किया। अर्था नं. 1, 2, 3, 5, 6 व 7 के अन्तर्गत उप० नही थे वकील उपपक्ष की अन्तर्गत अस्थायी निषेधाज्ञा के विषय पु बहल सुनी गई। पत्रावली का अन्तिम रिप ६ फ्रम इरफ स्तपल का मागला उचित प्रतीत हो ४ अंतः गैरसापलान को अन्तर्गत अस्थायी निषेधाज्ञा से आगामी सुनवाई तिथी तक पाबन्द किया जाता है कि गम करारा अजीज की शर्मे खसरा नम्बर	
267	277	286
0.24	0.10	0.17
282	283	306
0.35	0.33	0.17
307	310	
0.20	0.35	
311	332	333
0.19	0.25	0.33
334	335	336
0.37	0.35	0.05
337	338	342
0.08	0.05	0.30
359	385	892
0.11	0.33	0.22
917	918	919
0.18	0.26	0.19
920	921	938
0.22	0.65	1.27
939	940	941
0.17	0.17	0.35
942	943	969/1266
0.56	0.56	0.05
970/1267		
0.14		
लगाता।		

4826-31  
5-9-17



दिनांक	
24.10.18	जनरल पेशी से पेश हुई / वकूलाय उप० / गतानुसार संशोधित वादपत्र पेश करने दिनांक 9-1-19 को पेश है।
9-1-19	वकूलाय उप० / संशोधित वादपत्र पेश करने पर पत्रिसमक्ष दिया जा चुका है - याचकहित में एक मौख जारी कपी का कक्ष पर दिया जाता है / संशोधित वादपत्र पेश करने दिनांक 17-1-19 को पेश है।
17-1-19	वकूलाय उप० / संशोधित वादपत्र पेश करने समय पर सुनकर न्यायहित में एक अंतिम मौख दिया जाता है / संशोधित वादपत्र पेश करने दि० 11-2-19 को पेश है।
11-2-19	पत्रावली पेश हुई। वार की ओर से कार्य स्थगन रखा गया है। पीठासन अधिकारी <u>डॉ. नरेश चंद्र प्रसाद</u> में उपस्थित है। गतानुसार दिनांक <u>22-2-19</u> को पेश हो।
22-2-19	पत्रावली पेश हुई। वार की ओर से कार्य स्थगन रखा गया है। गतानुसार दिनांक <u>29-3-19</u> को पेश हो।
29-3-19	वकूलाय उपस्थित/पीठासन अधिकारी <u>डॉ. नरेश चंद्र प्रसाद</u> से <u>करीबी पत्र</u> है। अतः पत्रावली गतानुसार दिनांक <u>16-5-19</u> को पेश हो।
16-5-19	वकूलाय उप० / संशोधित वादपत्र पेश करने पुनः समय पाहा / सुनकर न्यायहित में एक अंतिम अवसर दिया जाता है / पत्रावली दिनांक 29-5-19 को पेश है।

